उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

– आदेश –

झारखण्ड़ राज्य खाद्य सूरक्षा आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या–18022020010 के माध्यम से आवेदक श्री राहुल कुमार, ग्राम कोयरी टोला, थाना व जिला रामगढ़ के द्वारा मध्याह्न भोजन की गुणवत्त से संबंधित शिकायत दर्ज कराते हुए, उक्त समस्या का निराकरण हेतु अनुरोध किया गया है। झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 15(5) की उप धारा 1 के तहत् अंगीकृत करते हुए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई का निर्णय लिया गया तथा उभय पक्षों को नोटिस निर्गत की गई।

दिनांक 16.12.2020 को जिला शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ़–2, जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। अपीलार्थी श्री राहुल कुमार अनुपस्थित रहे। जिला शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ़–2 के द्वारा सुनवाई के क्रम में आवेदन समर्पित करते हुए उल्लेख किया गया है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय, छत्तरमाण्डू में मध्याह्न भोजन सही से नहीं मिलने की शिकायत के आलोक में स्थलीय जाँच वार्ड पार्षद, छत्तरमाण्डू, अध्यक्ष प्रबंधन समिति, संयोजिका, सरस्वती वाहिणी माता समिति एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में की गई। उपस्थित ग्रामीण एवं वार्ड पार्षद के द्वारा उक्त शिकायत को बेबुनियाद एवं निराधर बताया गया। पूर्व मे भी भवदीय का पत्रांक 1173 दिनांक 11.04.2020 के आदेशानुसार दिनांक 16.09.2020 को प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, संकुल साधन सेवी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, छत्तरमाण्डू, संयोजिका, रसोईया सहित कुल 20 ग्रामीणों की उपस्थिति में उक्त आरोप के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। उपस्थित सभी ग्रामीणों ने एक स्वर में लगाये गये आरोप को बेबुनियाद तथा निराधर बताया गया। वहीं दूसरी ओर आवेदक के दूरभाष पे सम्पर्क साधने का प्रयास किया गया, परन्तु ऑनलाईन दर्ज शिकायत में उल्लेखित सम्पर्क संख्या लगातार बंद बताये जाने के कारण उनसे सम्पर्क नहीं हो सका।

उक्त मामले पर प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया निराधार एवं बेबुनियाद है। आवेदक के दूरभाष पर सम्पर्क नहीं हो पाने के कारण उनका पक्ष अप्राप्त रहा तथा यह स्पष्ट नहीं हो सका की आवेदक द्वारा यह शिकायत किस आधार पर किया गया है।

मध्याह्न भोजन योजना सरकार की एक अति महत्वकांक्षी योजना है, इस योजना से हजारों विद्यार्थियों को पोष्टिक आहार मिलता जिससे की सर्वांगिण विकास में मदद मिलती है। अतएव जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ को निदेश दिया जाता है कि सभी विद्यालयों में इस योजना का संचालन उत्कृष्ट तरीके से हो, इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे तथा समयक विद्यालयों में निरीक्षण करते रहेगें ताकि कोई विद्यार्थी इस योजना से वंचित न रहे। जिला शिक्षा अधीक्षक रामगढ़ के प्रतिनिधि के अनुरोध के आलोक में वाद कि कार्रवाई समाप्त कि जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजें।

16/12/2020

अपर समाहर्त्ता ~~–सह–~~

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी रामगढ़।

ज्ञापांक 1876 / रा0 दिनांक 17 / 12 / 2020

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री राहुल कुमार, ग्राम कोयरी टोला, थाना व जिला रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/2020

अपर समाहर्त्ता ~~–सह–~~

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी रामगढ़।

D2/Shams/Ltr/J.sir551